

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी सं.- 137/2025

जीसीएमएस संख्या - (2025/221)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण:-

1. जगदीश पुत्र श्री मांगीलाल
2. रूपाराम पुत्र श्री भैराराम
जाति सरगरा, निवासीगण ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार:-

1. केसाराम पुत्र श्री बाबुलाल जाति सरगरा, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।



पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध पट्टा सं. 45, मिसल सं. 64/2018-19 दायर दिनांक 10.05.2018 ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा दिनांक 27.12.2018 को जारी किया गया, को निरस्त करने बाबत।


उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह चंपावत (प्रार्थीगण की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह तापू (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)

-निर्णय-

दिनांक : 28.08.2025

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा मिसल सं. 64/2018-19 दायर तारीख 10.05.2018, प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 06.07.2018 की अनुपालना में बुक सं. 31 में से पट्टा सं. 45 प्रारूप 23-क (नियम 157) दिनांक 27.12.2018 बहक श्री केसाराम को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2022 को पेश की गई है।
2. निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 1 केसाराम की ओर से श्री भंवर सिंह तापू, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत शिकारपुरा से आक्षेपित पट्टे से संबंधित अभिलेख मंगवाया गया।
3. निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने मिसल सं. 64/2018-19 दिनांक 27.12.2018


अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में पट्टा सं. 45 अप्रार्थी केसाराम के नाम 216.18055 वर्गगज का जारी किया है, वह भूखण्ड दोनों प्रार्थीगणों के भूखण्ड के बीच आया हुआ है। प्रार्थीगण अपने-अपने भूखण्डों पर आज से 35-40 वर्षों से रहवासीय मकान व कच्ची पक्की दीवारें बनाकर निवासरत है तथा अपने नाम बिजली पानी के कनेक्शन भी ले रखे है। पहले प्रार्थीगण के पूर्वज रहते थे तथा प्रार्थीगण के नाम आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज इसी पते के बने हुए है। अप्रार्थी 1 प्रार्थीगण का रिश्तेदार है, जिसे रहने के लिए उक्त भूखण्ड दिया था, परंतु अप्रार्थी 1 ने प्रार्थीगण को बिना बताए ही ग्राम पंचायत में भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने बाबत आवेदन कर दिया। ग्राम पंचायत ने बाले बाले बिना मौका जांच किये तथा अपत्तियां आमंत्रित किये तथा गलत नाप लेकर अप्रार्थी 1 के नाम पट्टा जारी कर दिया, पट्टे में अंकित नाप अनुसार अप्रार्थी 1 के नाम पट्टा जारी कर दिया, पट्टे में अंकित नाप अनुसार अप्रार्थी 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है। पट्टे की पश्चिमी भुजा 20 फीट ही है तथा पूर्वी भुजा 23 फीट ही है, परंतु पट्टे में पूर्वी भुजा 29 फीट तथा पश्चिमी भुजा 26 फीट अंकित की है, जो गलत है क्योंकि मौके पर प्रार्थीगण के 30-40 वर्ष पूर्व के पक्के मकान व दीवार बनी हुई है। ग्राम पंचायत ने बाले बाले ही, अप्रार्थी 1 को लाभ देने के लिए मनमर्जी से गलत नाप का पट्टा जारी किया है, जो निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कमेटी ने मौके पर आकर जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की। कमेटी में प्रार्थीगण के क्षेत्र का वार्ड पंच शामिल नहीं था। जांच रिपोर्ट पर एक ही वार्ड पंच के हस्ताक्षर है। मौके पर अप्रार्थी 1 का कब्जा कम था, परंतु ज्यादा नाप दर्ज कर पट्टा जारी किया है, जिसके कारण अप्रार्थी 1, प्रार्थीगण के कब्जे की 3-3 फीट भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तथा प्रार्थीगण की भूमि हड़पना चाहता है। पट्टा जारी करने में नियम 145, 146, 147 व 148 की पालना नहीं की गई है। एक ही जगह बैठकर कागजी खानापूति कर पट्टा जारी किया गया है। पट्टे की आड में अप्रार्थी 1, प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहता है। दिनांक 16.03.2022 को कोर्ट से नोटिस प्राप्त होने पर आक्षेपित पट्टे की जानकारी प्रार्थीगण को हुई, तब पट्टे की नकल दिनांक 25.06.2022 प्राप्त कर, यह निगरानी पेश की जा रही है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। नये सिरे से दोनों पक्षों के भूखण्डों की मौका जांच कर पट्टे जारी करने के आदेश पारित करावे। निगरानी के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 96



SM
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सीपीसी का प्रार्थना पत्र, धारा 5 ग्याद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
5. निगरानीकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरपत सिंह चंपावत ने निगरानी मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी 1 केसाराम प्रार्थीगण का भाणेज है। अप्रार्थी 1 के नाम जारी पट्टे में एक तरफ प्रार्थी जगदीश का मकान है तथा दूसरी तरफ प्रार्थी रूपाराम का मकान है अर्थात् केसाराम का भूखण्ड प्रार्थीगण के भूखण्डों के बीच में स्थित है। सन् 2021-22 में अप्रार्थी 1 ने ग्राम पंचायत से, कब्जे से अधिक भूखण्ड का आवेदन कर पट्टा ले लिया तथा प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि में घुसना चाहता है, पट्टे की आड में सिविल कोर्ट JM & CJ-07 महानगर, जोधपुर में प्रकरण लंबित है। ग्राम पंचायत ने आक्षेपित पट्टा जारी करते समय राज. पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं की है जबकि प्रार्थीगण के मकान पहले से ही मौके पर निर्मित है तथा प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि का पट्टा अप्रार्थी 1 को जारी कर दिया है। ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित ही नहीं की, जिस कारण प्रार्थीगण, अपना एतराज ग्राम पंचायत के समक्ष पेश ही नहीं कर पाए। अप्रार्थी 1 के पक्ष में गलत नाप करके अधिक भूमि का पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टे को निरस्त किया जावे।
6. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्तानुसार बहस का खण्डन करते हुए, अप्रार्थी 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री भंवर सिंह ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी 1 को 216 वर्गगज का पट्टा जारी किया है, जिस पर पूर्व में ही मकान बना हुआ है। पट्टा जारी करते समय प्रार्थीगण ने कोई आपत्तियां पेश नहीं की है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पूरा पालन किया है। प्रार्थीगण के मौके पर मकान बने हुए नहीं है। कच्ची बाड की हुई है। प्रार्थी जगदीश द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड में तीन फीट तक प्रवेश कर दीवार का निर्माण करने लगे, तब अप्रार्थी 1 ने सिविल कोर्ट में केस दायर किया जो JM & CJ-07, महानगर, जोधपुर में लंबित है। प्रार्थीगण के पास पट्टा नहीं है। मौके पर केवल बाड बनी हुई है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे, जो मनमाफिक आधारहीन तथ्यों पर पेश की गई है।
7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर, मिसल में उपलब्ध अभिलेख व पट्टा बुक में उपलब्ध पट्टे का




अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अवलोकन कर, अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा निगरानी पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अंतर्गत धारा 96 सीपीसी 1908 स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है। निगरानी पेश करने हेतु कानून में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, चूंकि पट्टा जारी करते समय, ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने का कथन किया है। अतः पट्टे की जानकारी की तिथि दिनांक 16.03.2022 से निगरानी युक्तियुक्त समय में पेश कर दी है। जिसका अप्रार्थी 1 ने जवाब पेश कर सशपथ खण्डन नहीं किया है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर निपटारा करना न्यायोचित है।

8. (a) ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल सं. 64/2018-19 में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी 1 ने ग्राम शिकारपुरा में आबादी भूमि में 216.18055 वर्गगज भूमि का, 37 वर्षों के पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा जारी करने बाबत आवेदन दिनांक 10.05.2018 मय नक्शा को पेश किया, जिसके संलग्न क्षेत्र के वार्ड पंच लक्ष्मी की रिपोर्ट है, जो नियम 146(1) के तहत प्ररूप 21 में दर्ज किया तथा आवेदन शुल्क 70 रुपये रसीद सं. 64/10.05.2018 से जमा किया। दिनांक 21.05.2018 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं. 01 पारित कर, नियम 146(2) के तहत वार्ड पंच सुरजाराम पटेल, मीरा देवी पटेल व लक्ष्मी पटेल की कमेटी मौका निरीक्षण हेतु गठित की गई। उक्त कमेटी ने दिनांक 26.05.2018 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की तथा 216.18 वर्गगज भूमि का पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी करने की रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट पर मात्र दो वार्डपंच सुरजाराम व लक्ष्मी के हस्ताक्षर हैं अर्थात् वार्डपंच मीरा देवी पटेल के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा नियम 146(2) के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है।



- (b) दिनांक 06.06.2018 की ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं. 02 पारित कर प्रार्थी के पक्ष में नियम 147(1) के तहत अस्थायी निर्णय लिया गया तथा नियम 148 के तहत प्ररूप 22 में एक माह में आक्षेप पेश करने हेतु नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भी पारित किया। दिनांक 06.06.2018 को प्ररूप 22 में भूखण्ड के पडौस दर्शाकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की पुश्त पर नोटिस की एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा की गई है।


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आपत्ति नोटिस की एक प्रति आवेदित स्थल पर चस्पा की गई।

नोटिस की एक प्रति गंवाई चौक पर चस्पा की गई। उक्त तीनों प्रकार के अंकनों के नीचे सिर्फ एक अंगूठा निशान है। यह अंगूठा किस व्यक्ति का है, उसकी पहचान स्वरूप कोई लिखावट नहीं है। उक्त तीनों नोटिस किस कार्मिक द्वारा, किस तारीख को, किन-किन दो प्रतिष्ठित स्थानीय व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा किये गये हैं, इस बाबत कोई रिपोर्ट इस नोटिस की पुस्त पर अंकित नहीं है।

नियम 148 के प्रावधानानुसार उक्त नोटिस दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा किया जाना चाहिए। चस्पा करने की तारीख से ही आक्षेप पेश करने बाबत एक माह की अवधि की गणना की जायेगी तथा चस्पानगी सुनिश्चित करने हेतु नोटिस चस्पा करने वाले कार्मिक का नाम/पदनाम हस्ताक्षर मय तिथि का अंकन किया जाना चाहिए तथा नोटिस वास्तविक रूप से संपत्ति पर चस्पा होना चाहिए ताकि आमजन/प्रभावित व्यक्ति आक्षेप पेश कर सके तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्राप्त हो सके। उक्त प्रावधान मात्र औपचारिकता नहीं होकर, आज्ञात्मक (Mandatory) प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में इस प्रावधान की पूर्णतः अवहेलना हुई है, जिसका परिणाम घातक है। इस प्रावधान का उल्लंघन करके, आगे की गई समस्त कार्यवाही स्वतः ही दूषित कार्यवाही हो गई है।

(c)फिर भी ग्राम पंचायत ने दिनांक 06.07.2018 को प्रस्ताव सं. 03 पारित कर नियम 157(1) के तहत पुराना गृह निर्माण मानकर प्रारूप 23 क में पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया है। दिनांक 12.07.2018 को प्रार्थी ने रसीद सं. 64 दिनांक 12.07.2018 को दो सौ रूपये की राशि जमा करा दी एवं बुक सं. 31 में से पट्टा सं. 45 प्रारूप 23 क (नियम 157(1)) में दिनांक 27.12.2018 को प्रस्ताव



सं. 03 दिनांक 06.07.2018 की पालना में 216.18055 वर्गगज अप्रार्थी 1 केसाराम के पक्ष में जारी किया गया है। जिसमें पूर्वी भुजा का नाप 29 फीट, पश्चिमी भुजा का नाम 26 फीट, उत्तरी भुजा 70.5 फीट, दक्षिणी भुजा 71 फीट दर्शाई है।

दक्षिण में पडौस जगदीश (प्रार्थी 1) तथा उत्तर में कुकी व केसाराम का निजी 10 फीट चौड़ा सिरोला रास्ता व आगे रूपाराम (अप्रार्थी 2) का पडौस दर्शाया है। पूर्व में 39 फीट चौड़ा रास्ता व पश्चिमी में कुकी पत्नी केसाराम दर्शाया है।

उक्त नाप व पडौस विवरण से स्पष्ट है कि पूर्वी भुजा 29 फीट तथा फिर 10 फीट निजी रास्ता केसाराम व कुकी का बताया है अर्थात् 39 फीट चौड़ाई में


जयपुर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर

केसाराम का कब्जा रहेगा। इसी प्रकार पश्चिमी भुजा भी 26 फुट व आगे 10 फीट चौड़ा कुकी व केसाराम का निजी रास्ता अर्थात् 36 फीट भूमि पर केसाराम व कुकी का कब्जा रहेगा, जबकि अप्रार्थी 1 अपने भूखण्ड पर पक्का निर्माण होना बताता है। 10 फीट चौड़ा रास्ता की भूमि पर केवल केसाराम व कुकी का हक किस नियम से प्रदान किया गया। रास्ता तो सार्वजनिक होता है।

9. उपर्युक्त तथ्यात्मक व अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पूर्णतः पालना नहीं की है। नियम 146(2) के प्रावधानानुसार तीन वार्ड पंचों की कमेटी, आवेदित भूमि का मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार करेगी तथा मौके का नक्शा भी सत्यापित करेगी, परंतु पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक.....के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट पर सिर्फ दो वार्ड पंचों के ही हस्ताक्षर हैं तथा नियमों की पालना नहीं की गई है।

इसी प्रकार पूर्व में नियम 148 के तहत जारी होने वाले सार्वजनिक नोटिस जारी करने में हुई अनियमितता का विस्तृत विवरण दे दिया है, जिसके अनुसार नियम 148 के प्रावधानों की घोर अवहेलना हुई है तथा प्रार्थीगण को आक्षेपित भूखण्ड का पट्टा जारी करने में आपत्तियां पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थीगण के सुनवाई के प्राकृतिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है तथा उनके हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार पट्टे में दर्शाये नाप व पडौस के अवलोकन से स्पष्ट है कि 10 फीट चौड़ा निजी रास्ता अप्रार्थी 1 का होना दर्शाया है तथा वह पट्टे का भाग ही नहीं है तथा वह अतिरिक्त भूमि है।



उपर्युक्त विवेचनानुसार आक्षेपित पट्टा जारी करने में नियमों में विहित प्रक्रिया का पालना नहीं किया जाना पाया जाता है, जिसके कारण आक्षेपित पट्टा निरस्त योग्य है तथा यह निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

11. अतएव प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत शिकारपुरा मिसल सं. 64/2018-19 दायरा दिनांक दिनांक 10.05.2018 में बुक सं: 31 में से जारी पट्टा सं. 45 (प्रारूप 23 क) दिनांक 27.12.2018, प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 06.07.2018 बहक श्री केसाराम पुत्र बाबूलाल जाति सरगरा निवासी शिकारपुरा बनाप 216.18055 वर्गगज को निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव सं. 01 दिनांक 21.05.2018, प्रस्ताव सं. 02 दिनांक

SM
अपर जिला कलक्टर (प्रबन्ध)
जोधपुर

06.06.2018, प्रस्ताव सं. 03 दिनांक 06.07.2018 को इस पट्टे की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

12. प्रकरण ग्राम पंचायत शिकारपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी 1 के आवेदन में वर्णित भूमि का पट्टा जारी करने हेतु, नियम 148 के तहत नई कमेटी गठित की जावे, जो अप्रार्थी व प्रार्थीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर, मौके पर भूमि का सही नापतौल कर, नक्शा तैयार करेगी तथा कमेटी की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा कर कर, ग्राम पंचायत पट्टा जारी करने बाबत स्पष्ट निर्णय पारित करे तथा पट्टा जारी करना उचित समझे तो नियम 148 के प्रावधानों की अक्षरतः पालना करते हुए, नोटिस जारी कर, आक्षेप प्राप्त कर, उनका विधि अनुसार निस्तारण करने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे। प्रार्थीगण/अप्रार्थी 1 को सुनवाई का सबूत पेश करने का पूरा अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण यथासंभव तीन माह में किया जावे।
13. निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत शिकारपुरा को मूल अभिलेख पुनः लौटाया जावे।
14. प्रकरण में अन्य लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्वारा निस्तारित किये जाते हैं।
15. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।



(जवाहर चौधरी) 25
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 28/08/25
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर